

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

81/10
25

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, तहसील
माण्डल से रिपटि प्राप्त हुई जिसे शा.प. दिया
गया। रिपटि के अनुसार निजी व डिबी की पालना
राजस्व रेकार्ड में नाप्रतिरूप सं. 6018 दिनांक 5-5-25
की पालना ही जा चुकी है अव प्रकरण में क्षति कोई
कार्यवाही शेष नहीं रहने से प्रकरण इसी स्तर पर शेष
दिया जाता है पत्रावली फलतः शुमार छोड़ कर नम्बर
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा